न्यायालय भू प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 110/2019 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. ठाकुरसिंह पुत्र शिवलाल उर्फ शिवला जाति चमार निवासी ग्राम लुहादेरा तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:——— वादी अपीलांट

बनाम

1 महावीर पुत्र लेखराम (मृतक)

1/1 हेमलता पत्नी स्व0 महावीर

1/2 राकेश पुत्र स्व0 महावीर जाति चमार निवासीयान ग्राम लुहादेरा तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

1/3 सीमा पुत्र स्व0 महावीर पत्नी मनोज कुमार जाति चमार हाल निवासी बूढीबावल तहसील कोटकासिम जिला अलवर

1/4 पूनम पुत्री स्व0 महावीर पत्नी मनोज कुमार जाति चमार वासी हाल बूढीबावल तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

1/5 मनीष पुत्री स्व0 महावीर पत्नी राहुल कुमार चमार हाल वासी वार्ड नम्बर 16, सूरजमुखी रोड, तिजारा तह0 तिजारा

1/6 संगीता पुत्री स्व0 महावीर पत्नी अशोक कुमार चमार निवासी ग्राम लुहादेरा तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

2 सुबहसिंह पुत्र लेखराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

3 गुरूदयाल पुत्र चुन्नीलाल
4 रामपति वेवाह चुन्नीलाल (मृतक)

4/1 गुरूदयाल पुत्र रामपति

4/2 बिमला पुत्री रामपति जाति चमार वासी ग्राम लुहादेरा

5 बिमला पुत्री चुन्नीलाल
6 नेमीचन्द पुत्र खेमराम
7 रामचन्दर पुत्र लालमन
8 दीपचन्द पुत्र लालमन (मृतक)

8/1 रतनलाल पुत्र स्व0 दीपचन्द

8/2 कृष्णा देवी पुत्री स्व0 दीपचन्द

8/3 शकुन्तला पुत्री स्व0 दीपचन्द जाति चमार वासी लुहादेरा तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

9 पतराम पुत्र मवासी जाटव वासी मल्हाका तहसील पहाडी जिला भरतपुर राजस्थान

10. भूमिधारी तहसीलदार, तिजारा

:—— असल प्रतिवादीगण रेस्पो0

10 खेमचन्द पुत्र शिवलाल उर्फ शिबला
11 राजबाला पुत्री शिवलाल उर्फ शिबला चमार वासी लुहादेरा तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:——— तरतीबी प्रतिवादीगण रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, तिजारा
दिनांक 30.7.2019

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांट :— श्री रामबहादुर सिंह तंवर

2. वकील रेस्पो0 सं0 :— श्री दिनेश यादव

1/1 ला0 1/6

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

निर्णय दिनांक 22.11.2021

1 यह अपील विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी, तिजारा द्वारा राजस्व वाद संख्या 247/2014 अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 30.7.2019, जिसके द्वारा प्रतिवादी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 स्वीकार कर वाद पत्र खारिज किया गया था, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत पेश की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ठाकुरसिंह ने तहत अदालत में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 188 आर0 टी0 एक्ट पेश कर निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 675 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा सालिम, खसरा नम्बर 518 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, 519 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा का 1/2 भाग, जिनके साबिक खसरा नम्बर 201 मिन रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, 161 मिन रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, 161 मिन रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा थे, विवादित आराजीयात है । विवादित आराजी वादी और तरतीबी प्रतिवादी के पिता शिवलाल उर्फ शिबला पुत्र खैराती की कब्जे काश्त पट्टेदारी/गैर खातेदारी की थी । बंदोबस्त सम्वत 2029 में विवादित आराजीयात का हाल नम्बर कायम कर शिवलाल उर्फ शिबला के नाम का अंकन कर दिया गया था, परन्तु बाद में प्रतिवादीगण संख्या 01 ला0 9 व रामरति वगैरा ने प्रतिवादी संख्या 11 के अधिनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों से मिल्लत करके विवादित आराजीयात पर गलत तौर पर अपने नाम का अंकन करा लिया । जबकि विवादित आराजीयात से प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नहीं है । रामरति वगैरा ने आराजी खसरा नम्बर 675 में से 1/5 भाग का बेचान प्रतिवादी नम्बर 10 को कर दिया । अतः निवेदन है कि वाद पत्र डिक्री किया जाकर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी को पटटेदार/गैर खातेदार घोषित किया जावे ।

3 दौराने विचारण वाद पत्र तहत अदालत में प्रतिवादी संख्या 02 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 पेश कर निवेदन किया कि मेरे पिता ने विवादित आराजी की कीमत कर्जा जमा करा कर तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑपिफसर, तिजारा से सनद प्राप्त की थी और इन्तकाल नम्बर 67 के द्वारा हमको खातेदारी हासिल हो चुकी है । अगर वादी को हमारी सनद से किसी प्रकार की कोई आपत्ति थी तो उनको सनद के खिलाफ अपील

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

पेश करनी चाहिये थी । खातेदारी के सनद पट्टे को निरस्त करने का न्यायालय श्रीमान को अधिकार नहीं है । इसी प्रकार वादी ने प्रतिवादी नम्बर 10 के हक में कराये गये बयनामा को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा है । यह अनुतोष देने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । यह अनुतोष केवल सिविल न्यायालय ही दे सकता है । आराजी खसरा नम्बर 518, 519 के बारे में वादी के पिता स्वंय शिवलाल ने अपने जीवन काल में दिनांक 18.6.1998 को महावीर के पक्ष में शपथ पत्र दिया है तथा कब्जों व अंकन बाबत प्रतिवादी के पक्ष में सहमति जाहिर की थी, जिससे वादी एस्टोप्ड है । उपरोक्त सभी परिस्थितियों के मध्यनजर वाद पत्र चलने योग्य नहीं है । लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर वाद पत्र खारिज किया जावे । तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 30.7.2019 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद पत्र आराजी खसरा नम्बर 518, 519 की हद तक खारिज किया है, जिस निर्णय से व्यथित होकर वादी ठाकुरसिंह ने यह अपील पेश की है ।

4 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि हमारा दावा आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 में खारिज नहीं किया जा सकता । तहत अदालत ने आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों की अनदेखी की है । वाद पत्र कभी भी पार्टली खारिज नहीं किया जा सकता, परन्तु तहत अदालत ने वाद पत्र पार्टली खारिज कर दिया । तहत अदालत ने कोई तनकी नहीं बनाई और बिना तनकी बनाये ही निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नहीं है । तहत निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

5 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1/1 ला0 1/6 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विवादित आराजीयात का सनद पट्टा हमको कीमत कर्जा जमा करवाकर तहसीलदार कम मनैजिंग ऑफिसर ने दिया था और इंतकाल नम्बर 67 के द्वारा हमको खातेदारी प्राप्त हो चुकी है । अपीलांट को उक्त सनद के खिलाफ अपील करनी चाहिये थी । वाद पत्र करने का वादी अपीलांट को कोई अधिकार नहीं है । आराजी खसरा नम्बर 518 व 519 की बाबत वादी अपीलांट के पिता शिवलाल ने शपथ पत्र देकर महावीर का कब्जा माना है । इस प्रकार स्पष्ट है कि आराजी खसरा नम्बर 518 व 519 से वादी अपीलांट का कोई लेना देना नहीं है । जब उक्त खसरा नम्बरान के बाबत वादी अपीलांट के पिता स्वयं ने महावीर के पक्ष में शपथ पत्र दे दिया था तो फिर वादी अपीलांट को वाद पत्र लाने का अधिकार नहीं है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

वादी अपीलांट शिवलाल द्वारा दिये गये शपथ पत्र से पावन्द है । तहत अदालत ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर वाद पत्र बाबत आराजी खसरा नम्बर 518 व 519 सही तौर पर खारिज किया है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

6 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । अदालत हाजा की पत्रावली में वकील रेस्पो0 द्वारा पेश इंतकाल नम्बर 67 दिनांक 9.9.77 का अवलोकन किया । इस इंतकाल के द्वारा सनद पट्टा संख्या 1302/35/पुर्न/16 (221) 77/दिनांक 22.7.77 के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 518 व 519 पर लेखराम पुत्र खैराती व मूलचन्द पुत्र फूसा को खातेदारी प्रदान की गई थी । लेखराम प्रतिवादी रेस्पो0 महावीर के पिता थे । इस दस्तावेज के अवलोकन से यह भलीभांति सिद्ध है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 518 व 519 प्रतिवादी रेस्पो0 के पिता को कीमतन सनद पटटा कलेक्टर एवं मैनेजिंग ऑफिसर, अलवर द्वारा जारी किया गया था । तत्पश्चात इन्तकाल नम्बर 67 द्वारा उनको खातेदारी प्रदान की गई थी । अगर वादी अपीलांट को उक्त सनद पट्टा से कोई आपत्ति थी तो उनको उक्त पट्टा के खिलाफ अपील पेश करनी चाहिये थी । चूंकि पट्टा जिला कलेक्टर (पुनर्वास) द्वारा जारी किया गया है । इसलिये यह साबित है कि आराजी खसरा नम्बर 518 व 519 कस्टोडियन भूमि थी । वादी अपीलांट इन खसरा नम्बरों पर अपने अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत तय कराना चाहता है, जो देय नहीं है । कस्टोडियन भूमियों पर कस्टोडियन नियमों के तहत ही अधिकार तय होते हैं । इस प्रकार वादी अपीलांट का वाद राजस्व न्यायालय में चलने योग्य नहीं है । विद्वान तहत अदालत ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 स्वीकार कर आराजी खसरा नम्बर 518 व 519 के सम्बन्ध में वादी अपीलांट का वाद पत्र सही तौर पर खारिज किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

7 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.7.2019 को यथावत रखा जाता है ।

8 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर